-: आदेश :-

इस आदेश की तिथि से एक वर्ष की अनधिक अवधि के लिये अथवा अगले आदेश प्रसारित होने तक अथवा लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्व में घटित हो, विभागीय तदर्थ चयन समिति की संस्तुति पर - - - - - -
- को - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - श्रीमती [illegible] [illegible] को पद पर वेतनमान रु० - - [illegible] - - - - - -
550-940
में उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - में अस्थाई एवं तदर्थ [illegible]
नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थाई है तथा एक वर्ष के पूर्व उपरोक्त प्रतिबन्ध पर यदि समाप्त न की गई तो इस आदेश की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नियुक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

1- सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
2- दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र जो उनके सम्बन्धी न हों।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
4- एक पत्नी/पति जीवित होने का प्रमाण पत्र।
5- भारतीय नागरिक व [illegible] निवास करने का प्रमाण पत्र।
6- अनुभव प्रमाण पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र मुख्यालय भेजें। नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक - - - - - - - - - - - - - तक यदि पदभार ग्रहण करने में असमर्थ होता
22-4-1987
है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

[illegible]
संयुक्त
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र०।

37251-54

पृ०सं० कानपुर: दिनांक 25 मार्च .87

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible] को प्रेषित :-

1- प्रधानाचार्य, - को
इस आशय से कि वे [illegible] पूर्व उनके अनुभव एवं अर्हता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त भेजें। उक्त तिथि तक नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थिति से निदेशालय को तुरन्त अवगत करायें।

रजिस्टर्ड:- 2- -
- - - - - - श्रीमती [illegible] [illegible]
3- प्रकरण [illegible] बाजार, जिला - [illegible]।
4- संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, [illegible]।
[illegible] एस-2-[illegible]
वाराणसी।

[illegible]
सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।

सचिवा/